वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद

COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH

अनुसंधान भवन, 2, रफ़ी मार्ग, नई दिल्ली - 110 001

ANUSANDHAN BHAWAN, 2, RAFI MARG, NEW DELHI – 110 001

(www.csir.res.in)

विज्ञापन सं. आर एंड ए/01/2023

https://recruitment.csir.res.in या https://www.csir.res.in/career-opportunities/recruitment पर एक्सेस लिंक 'राजभाषा स्टाफ भर्ती–2023

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रारंभ तारीख :	01 जून, 2023 (बृहस्पतिवार) 10:00 बजे
ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख :	10 जुलाई, 2023 (सोमवार) 17:00 बजे तक
ऑनलाइन शुल्क जमा कराने की अंतिम तारीख (यदि लागू हो) :	
पोर्टल में एसबीआई कलेक्ट भुगतान विवरण (यदि लागू हो) को अद्यतन करना और सफलातपूर्वक जमा आवेदन पत्र को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करना:	

हेल्प डेस्क: rahelpdesk@csir.res.in

सीएसआईआर के बारे में

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद [सीएसआईआर], वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के तहत 1942 में स्थापित एक स्वायत्त निकाय है। यह देश का प्रमुख वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास संगठन है और इसका देश भर में 37 प्रयोगशालाओं/संस्थानों का नेटवर्क है। सीएसआईआर देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जनशक्ति के विकास और पोषण के अपने अधिदेश (मैनडेट) के अनुसरण में, युवा और सक्रिय ज्ञान वाले कार्यबल सहित एक परिवर्तित कार्य संस्कृति की परिकल्पना करता है जो सीएसआईआर में शुरु की गई विविध पहलों को कौशल और समर्थन प्रदान करेगा। सीएसआईआर और इसकी विभिन्न प्रयोगशालाओं/संस्थानों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट www.csir.res.in देखें।

सीएसआईआर निम्नलिखित रिक्त पदों के लिए सीधी भर्ती के आधार पर योग्य, ऊर्जावान, परिणामोन्मुखी और समर्पित भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित करता है:

पदनाम	**पदों की संख्या**	**पे लेवल**	**ऊपरी आयु सीमा [ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख पर] निम्नांकित से अधिक नहीं हो**
कनिष्ठ हिंदी अनुवादक	03 (02–अनारक्षित और 01–ईडब्ल्यूएस)	पे मैट्रिक्स लेवल– 6 (रु.35400–रु.112400/–)	30 वर्ष*
हिंदी अधिकारी	01–अनारक्षित (यूआर)	पे मैट्रिक्स लेवल–10 (रु.56100–रु.177500/–)	35 वर्ष*

* कृपया आयु सीमा और छूट कॉलम के तहत आयु में छूट के संबंध में देखें।

I. अनिवार्य अर्हता, अनुभव आदि:

पद कोड: जेएचटी

1. **कनिष्ठ हिंदी अनुवादक हेतु (पे मैट्रिक्स लेवल -6 (रु.35400-112400) :**

अनिवार्य अर्हता एवं अनुभव	वांछनीय अर्हता	कार्य अपेक्षाएं
(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी या हिंदी के साथ हिंदी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री; **या** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से हिंदी या अंग्रेजी माध्यम और एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी या हिंदी या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी या अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में मास्टर डिग्री; **या** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रुप में हिंदी और अंग्रेजी या दोनों विषयों में से किसी एक विषय में परीक्षा के माध्यम के रुप में तथा दूसरा डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रुप में हिंदी या अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में मास्टर डिग्री; **और** (2) हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रजी से हिंदी में अनुवाद में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स या भारत सरकार के उपक्रमों सहित केंद्रीय या राज्य सरकार के कार्यालयों में हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कार्य का दो वर्ष का अनुभव।	i) संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं में से एक का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या समकक्ष से मैट्रिक स्तर का ज्ञान। ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद में डिग्री या डिप्लोमा और इसके विपरीत।	1. भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में सहायता करना। 2. सरकारी पत्र–व्यवहार/वैज्ञानिक सामग्री/दस्तावेज़/रिकॉर्ड आदि का अंग्रेजी से हिंदी में और हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करना। 3. रिपोर्ट और रिटर्न तैयार करने/प्रस्तुत करने में सहायता करना। 4. उच्च अधिकारियों द्वारा समय–समय पर सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

पद कोड : एचओ

2. हिंदी अधिकारी हेतु (पे मैट्रिक्स लेवल–10 (रु. 56100–177500) :

अनिवार्य अर्हता और अनुभव	वांछनीय अर्हता	कार्य आवश्यकताएं
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी में मास्टर डिग्री; **या** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के साथ अंग्रेजी में मास्टर डिग्री; **या**	क) संविधान की **आठवीं अनुसूची** में शामिल हिंदी के अलावा किसी एक भाषा का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं के स्तर का अध्ययन किया हो। ख) प्रशासनिक अनुभव।	हिंदी अधिकारी राजभाषा अधिनियम 1963 यथासंशोधित अद्यतन और इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी नियमों और आदेशों के अनुसार सीएसआईआर में केंद्र सरकार की राजभाषा नीति

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी माध्यम से तथा एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रुप में या डिग्री स्तर पर अंग्रेजी के साथ हिंदी या अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में मास्टर डिग्री; **या** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम से और अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में मास्टर डिग्री; **या** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से तथा एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी तथा अंग्रेजी या दोनों विषयों में से किसी एक विषय में परीक्षा के माध्यम के रूप में और दूसरा डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी या अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में मास्टर डिग्री। **और** (ii) केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त निकायों या सांविधिक संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थानों में हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली (पारिभाषिक शब्दावली कार्य) का उपयोग या प्रयोग करने का और अधिमानतः तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य संबंधी अंग्रेजी से हिंदी या हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कार्य का तीन वर्ष का अनुभव हो। **या** केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थानों में हिंदी और अंग्रेजी में अध्यापन या हिंदी या अंग्रेजी में शोध का तीन वर्ष का अनुभव।	ग) हिंदी कक्षाओं का आयोजन करने या टिप्पण प्रारुपण हेतु कार्यशालाओं का आयोजन करने का अनुभव।	का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके अलावा, उच्च अधिकारियों द्वारा समय–समय पर कोई सौंपा गया अन्य कार्य।

II. चयन प्रक्रिया:

क. **<u>कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के लिए चयन प्रक्रिया:</u>** इन पदों पर चयन खुली लिखित प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर किया जाना है ।

कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के पद हेतु दो प्रश्न–पत्र (प्रश्न–पत्र-I और प्रश्न–पत्र-II) होंगे । प्रश्न–पत्र-II का मूल्यांकन केवल उन उम्मीदवारों के लिए किया जाएगा जो प्रश्न–पत्र-I में न्यूनतम निर्धारित अंक (चयन समिति द्वारा निर्धारित) प्राप्त करेंगे । **उम्मीदवारों द्वारा प्रश्न–पत्र-II में प्राप्त अंकों के आधार पर ही अंतिम योग्यता सूची तैयार की जाएगी ।**

प्रश्न–पत्र-I ओएमआर आधारित या कंप्यूटर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय परीक्षा होगी, जबकि प्रश्न–पत्र-II वर्णनात्मक प्रकार का होगा ।

प्रश्नों का माध्यम	वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय परीक्षा हेतु प्रश्न अंग्रेजी और हिंदी दोनों में सेट किए जाएंगे
परीक्षा का मानक	स्नातक स्तर

प्रश्न–पत्र-I (निर्धारित समय- 1 घंटा)

विषय	**प्रश्नों की संख्या**	**अधिकतम अंक**	**निगेटिव मार्किंग**
सामान्य बुद्धिमत्ता	50	150 (प्रत्येक सही उत्तर के लिए तीन अंक)	प्रत्येक गलत उत्तर देने पर एक अंक काटा जाएगा
संख्यात्मक योग्यता	25	75 (प्रत्येक सही उत्तर के लिए तीन अंक)	प्रत्येक गलत उत्तर देने पर एक अंक काटा जाएगा
सामान्य जागरूकता	25	75 (प्रत्येक सही उत्तर के लिए तीन अंक)	प्रत्येक गलत उत्तर देने पर एक अंक काटा जाएगा

प्रश्न पत्र- II (निर्धारित समय-2 घंटे)

यह प्रश्न–पत्र उम्मीदवारों के लेखन और अनुवाद कौशल का आकलन करने के लिए है जो इस पद से संबंधित कार्यों के लिए आवश्यक है। इस प्रश्न–पत्र में अंग्रेजी और हिंदी में अलग-अलग पैराग्राफ लिखना; अंग्रेजी और हिंदी में सार लेखन और अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद शामिल होगा। प्रश्न पत्र-II परीक्षा में कुल 300 अंक होंगे और इस परीक्षा के लिए निर्धारित समय 2 घंटे होगा ।

ख. <u>हिंदी अधिकारी के लिए चयन प्रक्रिया</u>:

हिंदी अधिकारी के पद पर चयन लिखित परीक्षा के बाद विधिवत गठित चयन समिति द्वारा आयोजित साक्षात्कार के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार का महत्व 75:25 होगा।

1. लिखित परीक्षा के लिए अधिकतम समय 2 घंटे और अधिकतम 300 अंक होंगे।
2. साक्षात्कार के लिए अधिकतम 100 अंक होंगे।
3. लिखित परीक्षा में प्रश्न एमसीक्यू प्रकार के होंगे।
4. परीक्षा का माध्यम हिंदी होगा।
5. प्रत्येक गलत उत्तर देने पर अंक काटे जाएंगे । कुल अंकों में से प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कुल 1/3 अंक काटे जाएंगे । यदि किसी प्रश्न के लिए कोई विकल्प नहीं चुना जाता है, तो उसके लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा ।
6. हिंदी अधिकारी के एक अनारक्षित पद के लिए उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले अधिकतम 12 उम्मीदवारों, जिन्होंने न्यूनतम 50% निर्धारित (थ्रेसहोल्ड) अंक प्राप्त किए हो, को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

<u>परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम</u>:

1. संघ की राजभाषा नीति, संवैधानिक प्रावधान, राष्ट्रपति के आदेश–1960, राजभाषा संकल्प–1968 (राजभाषा अधिनियम, नियम एवं वार्षिक राजभाषा कार्यक्रम)
2. राजभाषा हिंदी के लिए मान्य सरकारी संस्थाए समितियां एवं योजनाएं
3. राष्ट्रभाषा और राजभाषा
4. हिंदी भाषा एवं साहित्य का विकास
5. हिंदी के प्रमुख साहित्यकार एवं कृतियां
6. हिंदी साहित्य की आधुनिक प्रवृतियां/विमर्श
7. देवनागरी लिपि का इतिहास एवं विकास
8. हिंदी भाषा एवं साहित्य के विकास में देवनागरी लिपि एवं अनुवाद का योगदान
9. वाक्य संरचना, व्याकरण एवं वर्तनी
10. हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद, वाक्यांश/पारिभाषिक शब्दावली
11. वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रकृति का अनुवाद और शब्दावली
12. हिंदी से संबंधित आईटी टूल्स
13. ई गवर्नेंस में हिंदी
14. हिंदी संबंधी सामान्य ज्ञान

लिखित परीक्षा केंद्र: लिखित परीक्षा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) दिल्ली में आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा की तारीख, समय और स्थान की सूचना उम्मीदवारों को सीएसआईआर की वेबसाइट के साथ-साथ उनके द्वारा उनके आवेदन पत्र में दी गई ईमेल आईडी/एसएमएस के माध्यम से समय पर दी जाएगी ।

III. <u>लाभ:</u> –

1. इस पद वेतन एवं भत्ते, यथा मकान किराया भत्ता (एचआरए) और यात्रा भत्ता आदि केंद्र सरकार की दरों पर होते हैं जो तैनाती के स्थान पर परिषद के कर्मचारियों पर लागू होते हैं । इसके अलावा, अन्य लाभ जैसे छुट्टी यात्रा रियायत और चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति और संतान शिक्षा भत्ता आदि भी सीएसआईआर के नियमों के अनुसार उपलब्ध हैं। सीएसआईआर आवास आवंटन नियमों के अनुसार उपलब्धता के आधार पर आवास प्रदान किया जाएगा, ऐसी स्थिति में एचआरए स्वीकार्य नहीं होगा।

2. नए प्रवेशकों के लिए निश्चित अंशदानों के आधार पर "राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली" द्वारा सभी नए प्रवेशकों को शासित किया जाएगा, जैसा कि सीएसआईआर द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए अपनाया गया है। हालांकि, भारत सरकार पैटर्न पर पेंशन योजना वाले अन्य सरकारी विभागों/स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/केंद्रीय विश्वविद्यालयों से चयनित व्यक्तियों मौजूदा पेंशन योजना अर्थात सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियमों के अनुसार शासित होते रहेंगे।

3. सीएसआईआर समय–समय पर संशोधित सीएसआईआर राजभाषा स्टाफ (एकाकी श्रेणी) के अनुदेशों के तहत कैरियर में उन्नति के लिए योग्य उम्मीदवारों को उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है।

4. इस पद पर परिषद के कर्मचारियों के लिए लागू नियुक्ति केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964, केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के प्रावधानों द्वारा समय–समय पर संशोधित और अन्य सेवा नियमों तक शासित होगी और उनकी प्रयोज्यता के संबंध में परिषद का निर्णय अंतिम होगा।

IV. <u>आयु सीमा और छूट</u>: –

1. संबंधित श्रेणियों में आरक्षित पदों हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मामले में ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) उम्मीदवारों के मामले में 3 वर्ष की छूट है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट भारत सरकार के नियमों के अनुसार लागू होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) अनारक्षित (यूआर)/अ.पि.व (ईडब्ल्यूएस) पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार आयु में छूट के पात्र नहीं होंगे। भूतपूर्व सैनिकों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट भारत सरकार के नियमों के अनुसार लागू होगी।
2. बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों [पीडब्ल्यूबीडी] को आयु में छूट: आयु में 10 वर्ष की छूट की अनुमति निम्नांकित रूप से पीडित व्यक्तियों के लिए है: [अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों के संबंध में कुल 15 वर्ष और ओबीसी (एनसीएल) के लिए आरक्षित पदों के संबंध में 13 वर्ष] क. दृष्टिहीनता और कम दृष्टि; ख. बधिर और कम सुनने वाला; ग. प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, ठीक हुआ कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड अटैक विक्टिम्स और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सहित चलन अक्षमता; घ. आत्मकेंद्रित, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट सीखने की अक्षमता और मानसिक बीमारी; ड. बधिर–दृष्टिहीनता सहित क्लॉज [क] से [घ] के तहत व्यक्तियों के बीच कई दिव्यांगताएं। इस उप–पैरा के तहत आयु में छूट का दावा करने वाले व्यक्तियों को निर्धारित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रोफार्मा में सहायता का उनका दावा स्पष्ट रूप से यह दर्शाता हो कि वह 40% या अधिक डिग्री का शारीरिक नि:शक्तता वाला है, किसी भी मामले में, इन उम्मीदवार की नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले प्रत्येक विशिष्ट पद के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मेडिकल फिटनेस के मानकों के अनुसार चिकित्सकीय रूप से फिट पाए जाने के अधीन होगी।
3. ऊपरी आयु सीमा में छूट समय–समय पर भारत सरकार/सीएसआईआर द्वारा जारी अनुदेशों और आदेशों के अनुसार परिषद/सरकारी विभागों/स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत नियमित कर्मचारियों के लिए 05 वर्ष तक है।
4. बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति केंद्र सरकार के कर्मचारी होने के नाते उम्र में छूट के हकदार हैं उन्हें यह, छूट बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों' के रुप में या 'केंद्र सरकार के कर्मचारी' के रूप में, जो भी उनके लिए अधिक लाभकारी हो सकती है, स्वीकार्य होगी ।

5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल)/पीडब्ल्यूबीडी /ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के समय जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित निर्धारित प्रारुप में अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। ओबीसी (एनसीएल)/ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में केन्द्र सरकार के तहत पदों पर नियुक्ति के लिए मान्य प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत करेंगे ।

6. भारत सरकार के प्रावधानों के अनुसार, विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और पति से न्यायिक रूप से अलग महिलाओं को आयु में छूट, विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और न्यायिक रूप से अपने पति से अलग हुई महिलाएं जिन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है उनके लिए ऊपरी आयु सीमा में 35 वर्ष की आयु तक छूट है [अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए आरक्षित पदों के संबंध में 40 वर्ष तक]। इस उप–पैरा के तहत आयु में छूट का दावा करने वाले व्यक्तियों को निम्नलिखित दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे: –
   i) विधवा के मामले में, अपने पति के मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ शपथ पत्र कि उसने फिर से शादी नहीं की है।
   ii) तलाकशुदा महिलाओं और न्यायिक रूप से अपने पति से अलग हुई महिलाओं के मामले में, तलाक या न्यायिक अलगाव, जैसा भी मामला हो, के संबंध में एक शपथ पत्र के साथ तलाकशुदा महिलाओं और उन्होंने तब से पुनर्विवाह नहीं किया है इस तथ्य को साबित करने के लिए उपयुक्त न्यायालय के निर्णय/डिक्री की एक प्रमाणित प्रति।

7. उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई जन्म तारीख और मैट्रिक/माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र में दर्ज जन्म तारीख को ही, आयु के निर्धारण के लिए स्वीकार की जाएगी और बाद में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार/स्वीकार नहीं किया जाएगा।

8. ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर लिया जा सकता है। निर्दिष्ट प्रारूप में निर्धारित फॉर्मेट द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र केवल ईडब्ल्यूएस से संबंधित उम्मीदवार के दावे के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

9. ईडब्ल्यूएस के लिए उपलब्ध आरक्षण लाभ चाहने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे नोटिस में निर्धारित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण के हकदार हैं।

10. बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए हिंदी अधिकारी और कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के पदों को उपयुक्त के रूप में चिह्नित किया गया है। कार्यात्मक आवश्यकताएं और दिव्यांगों की उपयुक्त श्रेणियां नीचे दी गई हैं:

समूह ए और बी में बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित किए जाने वाले पद		
पद	***कार्यात्मक आवश्यकताएं**	****बेंचमार्क दिव्यांगताओं की उपयुक्त श्रेणियां**
हिंदी अधिकारी	एस, आरडब्ल्यू, एसई, एच, सी, एमएफ	क) बी, एलवी ख) डी, एचएच ग) ओए, बीए, ओएल, बीएल, ओएएल, बीएलओए, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एमडीवाई घ) एसएलडी, एमआई ड.) उक्त (क) से (घ) तक में शामिल एमडी
कनिष्ठ हिंदी अनुवादक	एस, एसटी, डब्ल्यू, एमएफ, आरडब्ल्यू, एसई, एच	क) बी, एलवी ख) डी, एचएच ग) ओए, बीए, ओएल, बीएल, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एमडीवाई घ) एएसडी (एम), एसएलडी, एमआई ई) उक्त (क) से (घ) तक में शामिल एमडी।

***कार्यात्मक संकेताक्षर:** एस=बैठना, एसटी=खड़ा होना, डब्ल्यू=चलना, बीएन=झुकना, एमएफ=अंगुलियों में हेरफेर, आरडब्ल्यू=पढ़ना और लिखना, एसई=देखना, एच=सुनना, सी=संप्रेषण।

****श्रेणी संकेताक्षर:** बी=नेत्रहीन, एलवी=कम दृष्टि, डी=बहरा, एचएच=कम सुनना, ओए=एक बाजू, ओएल=एक टांग, बीए=दोनों बाजू, बीएल=दोनों टांगें, ओएएल=एक बाजू और एक टांग, बीएलओए=दोनों टांगे और एक बाजू, सीपी=सेरेब्रल पाल्सी, एलसी=कुष्ठ

रोग ठीक, डीईडब्ल्यू=बौनापन, एमडीवाई=मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एएवी=एसिड अटैक विक्टिम्स, एएसडी=ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (एम=माइल्ड, एमओडी=मॉडरेट), एसएलडी=विशिष्ट सीखने की अक्षमता, एमआई=मानसिक बीमारी, एमडी=बहु दिव्यांगता (बधिर दृष्टिहीनता सहित)

V. <u>सामान्य शर्तें:</u>

1. मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थानों/विश्वविद्यालयों से निर्धारित शैक्षणिक योग्यताएं प्राप्त की।

2. आयु सीमा/अनुभव/अर्हताएं निर्धारित करने की तारीख ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात **10.07.2023** होगी। किसी विषय/कार्य क्षेत्र में अनुभव की अवधि, जहां भी निर्धारित हो, की गणना उस पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने की तारीख के बाद की जाएगी।

3. पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, लिखित परीक्षा आदि के आयोजन और सभी या किसी भी पद को न भरने से संबंधित सभी मामलों में सीएसआईआर के सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा और किसी भी व्यक्ति से इस संबंध में कोई भी पूछताछ या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, समकक्ष योग्यता के रूप में योग्यता के दावे के मामले में, उम्मीदवार को सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में जारी आदेश/पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

4. प्रत्येक श्रेणी के सामने दर्शाई गई रिक्तियों की संख्या अनंतिम है और चयन के समय किसी भी तरह से भिन्न हो सकती है। यह विज्ञापन आवश्यक रूप से वास्तव में किए जा रहे चयन के समान नहीं है। चयन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के दौरान एक निश्चित समय पर प्रचलित सीएसआईआर/भारत सरकार के अनुदेशों के अधीन है।

5. उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पास ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तारीख तक संबंधित क्षेत्र में आवश्यक शैक्षिक योग्यता/अनुभव है, जिसके लिए वह आवेदन कर रहा है। न्यूनतम आवश्यक योग्यता पूरी करने मात्र से उम्मीदवार लिखित परीक्षा/साक्षात्कार आदि के लिए बुलाए जाने के हकदार नहीं हो जाते हैं।

6. चूंकि आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर आवेदनों की जांच की जाएगी, इसलिए यह आवश्यक है कि आवेदकों द्वारा केवल सटीक, पूर्ण और सही जानकारी दी जाए। गलत/झूठी जानकारी देना अयोग्यता होगी और ऐसी गलत/झूठी जानकारी देने के किसी भी परिणाम के लिए सीएसआईआर जिम्मेदार नहीं होगा।

7. अनिवार्य अर्हता में समकक्ष क्लॉज के संबंध में, यदि कोई उम्मीदवार विज्ञापन की आवश्यकता के अनुसार समकक्ष योग्यता के रूप में किसी विशेष योग्यता का दावा कर रहा है, तो उम्मीदवार को इस संबंध में प्राधिकरण (संख्या और दिनांक) जिसके तहत इसे इस प्रकार माना गया है, को ईंगित करने वाला आदेश/पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा। महानिदेशक, सीएसआईआर का निर्णय अर्हता (अर्हताओं) की समकक्षता और विश्वविद्यालयों/संस्थानों की मान्यता के संबंध में अंतिम और बाध्यकारी होगा।

8. कनिष्ठ हिंदी अनुवादक और हिंदी अधिकारी के पदों के लिए जहां कहीं भी विशिष्ट विषय अर्थात अंग्रेजी या हिंदी आदि अनिवार्य पात्रता मानदंड के रूप में निर्धारित किए गए हैं, उम्मीदवारों को इस संबंध में अपने दावों को वैध प्रमाण के साथ प्रमाणित करना चाहिए, और वही ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किया गया होना चाहिए। यदि आवश्यक दस्तावेजी प्रमाण अपलोड नहीं किया गया है या संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा उम्मीदवार की अंकतालिका और/या डिग्री प्रमाणपत्र में विषय का उल्लेख नहीं किया गया है, तो ऐसे दावों की स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में उम्मीदवारों पर जांच समिति का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। इस तरह के निर्णय के खिलाफ किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

9. उम्मीदवार द्वारा अंशकालिक आधार पर, दैनिक वेतन भोगी, विजिटिंग/गेस्ट फैकल्टी के रूप में प्रदान किए गए कार्य के अनुभव की अवधि को वैध अनुभव की गणना करते समय नहीं गिना जाएगा।

10. अनुभव के रूप में दावा की गई अवधि के लिए दस्तावेजी प्रमाण जैसे नियुक्ति पत्र, कार्यभार ग्रहण अधिसूचना, वेतन प्रमाण पत्र और अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अनुभव प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से अनुभव की अवधि का उल्लेख होना चाहिए,

जिसमें उम्मीदवार द्वारा दावा किए गए संबंधित विभिन्न संगठनों/विश्वविद्यालयों में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख और कार्यमुक्त होने की तारीख इंगित की गई हो। इसके अलावा, संबंधित संगठन [संगठनों]/संस्थानों/विश्वविद्यालयों के संबंध में अनुभव प्रमाण पत्र ऐसे प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए, जो इस तरह के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम हो। ऑनलाइन आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य में स्पष्ट रूप से अनुभव की प्रारंभ की तारीख और समाप्ति की तारीख, परिलब्धियां, किए गए कार्य की प्रकृति को दर्शाया जाना चाहिए।

11. आवेदन में और मूल दस्तावेजों में प्रमाण के रुप में दी गई जानकारी में कोई विसंगति पाए जाने पर उम्मीदवार पद (पदों) के लिए अपात्र हो जाएगा।

12. चयनित उम्मीदवार पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे। सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर परिवीक्षा अवधि को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। परिवीक्षा अवधि के सफल समापन के बाद, मौजूदा नियमों के अनुसार उनकी पुष्टि पर विचार किया जाएगा।

13. चयनित उम्मीदवारों को परिवीक्षा अवधि के दौरान कहीं और नियुक्ति के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और यदि उन्होंने कार्यभार ग्रहण करने से पहले किसी अन्य संगठन में किसी पद के लिए आवेदन किया है, तो उन्हें ऐसे आवेदनों के विवरण के संबंध में सीएसआईआर में कार्यभार ग्रहण करने के तुरंत बाद सूचित करना होगा।

14. यदि प्रस्तुत किया गया कोई भी दस्तावेज/प्रमाण पत्र हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में है, तो उसकी विधिवत रूप से अनुप्रमाणित प्रतिलेख अंग्रेजी में प्रस्तुत किया जाना है।

15. विज्ञापित पद सीएसआईआर मुख्यालय और इसकी इकाइयों के लिए हैं। तथापि, चयनित उम्मीदवारों को सीएसआईआर के किसी भी प्रयोगशाला/संस्थान/केंद्र में तैनात किया जा सकता है।

16. सरकार/सीएसआईआर कार्य बल के लिए प्रयासरत है जो लिंग संतुलन को दर्शाता है और महिला उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

17. भारत सरकार/सीएसआईआर के अनुदेशों के तहत निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों [पीडब्ल्यूबीडी] को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

18. प्रत्येक उम्मीदवार से प्रत्येक पोस्ट कोड के लिए केवल एक ही आवेदन पर विचार किया जाएगा। **यदि कोई उम्मीदवार अलग–अलग ईमेल आईडी के साथ एक ही पोस्ट कोड के लिए ऑनलाइन कई आवेदन जमा करता है, तो केवल नवीनतम पूर्ण आवेदन पर ही विचार किया जाएगा।**

19. किसी भी रूप में पक्ष–प्रचार करना और/या राजनीतिक या अन्यथा कोई प्रभाव डालना पद के लिए अयोग्यता माना जाएगा।

VI. आवेदन कैसे करें:

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए वेबसाइट पर दिए गए अनुदेशों को ध्यान से पढ़ें।

1. पात्र उम्मीदवारों को वेबसाइट https://www.csir.res.in/career-opportunities/recruitment पर जाकर या सीएसआईआर की वेबसाइट https:// recruitment.csir.res.in पर उपलब्ध लिंक "राजभाषा स्टाफ भर्ती–2023" पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

2. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के लिए कृपया उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध "ऑनलाइन आवेदन कैसे करें" अनुदेशों, "शुल्क भुगतान प्रक्रिया" और आवेदन प्रतिकृति' देखें।

3. आवेदन तीन अलग–अलग चरणों में प्रस्तुत किया जाना है, जैसा कि नीचे दिया गया है: –

   i) पंजीकरण [ऑनलाइन]
   ii) शुल्क जमा करना [ऑनलाइन], यदि लागू हो।
   iii) आवेदन जमा करना [ऑनलाइन]

4. यदि उम्मीदवार के पास वैध ईमेल आईडी नहीं है, तो उसे ऑनलाइन आवेदन करने से पहले एक नया वैध ईमेल आईडी बनाना चाहिए और पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान सक्रिय रहना चाहिए। आवेदन के उपर्युक्त चरणों की तारीखें इस प्रकार हैं: –

   i) ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रारंभ तारीख: 01 जून, 2023 (बृहस्पतिवार) को 10:00 बजे।
   ii) ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख: 10 जुलाई, 2023 (सोमवार) को 17:00 बजे।

5. उम्मीदवारों को वेबसाइट पर उपलब्ध 'शुल्क भुगतान प्रक्रिया' के अनुसार **रु.500/–** के आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पीडब्ल्यूबीडी/महिला/सीएसआईआर कर्मचारी/भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों को किसी शुल्क का भुगतान नहीं करना है।** निर्धारित शुल्क के बिना आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा और सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा। ऐसी अस्वीकृति के खिलाफ किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. उम्मीदवारों को अपने हाल के पासपोर्ट आकार के स्कैन किए गए रंगीन फोटोग्राफ, हस्ताक्षर प्रत्येक [अधिकतम आकार 50 केबी] और सम्बद्ध प्रमाणपत्र [अधिकतम आकार 1 एमबी प्रत्येक] ऑनलाइन आवेदन में निर्दिष्ट स्थान पर अपलोड करने है। **कृपया सुनिश्चित करें कि अपलोड स्कैन दस्तावेज़ सुपाठ्य और पठनीय हैं। अपठनीय दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किए गए आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।** ऐसी अस्वीकृति के खिलाफ किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

7. एक बार किए गए आवेदन को वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं लौटाया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए रिजर्व में रखा जा सकता है।

8. बोर्डों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा सीजीपीए/एसजीपीए/ओजीपीए/डीजीपीए/सीपीआई ग्रेड्स आदि प्रदान करने के मामले में, उम्मीदवारों को अपने बोर्डों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों के अनुसार फॉर्मूले के आधार पर इसे प्रतिशत में बदलना आवश्यक है। बोर्डों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा जारी प्रतिशत में सीजीपीए/एसजीपीए/ओजीपीए/डीजीपीए/सीपीआई ग्रेड्स आदि के रूपांतरण फार्मूले की एक प्रति ऑनलाइन आवेदन में अपलोड की जानी है।

9. जब आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाता है, तो इसे अनंतिम रूप से स्वीकार कर लिया जाएगा। ऑनलाइन जमा करने के बाद उत्पन्न आवेदन का प्रिंट–आउट, अपेक्षित प्रमाणपत्रों, अंकतालिकाओं, आयु प्रमाण, शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव और जाति प्रमाण पत्र, यदि लागू हो, की स्व–सत्यापित प्रतियों के साथ अपने पास रखा जाना चाहिए, इस आवेदन पर एक हाल के पासपोर्ट आकार का स्व–हस्ताक्षरित फोटोग्राफ चिपका हुआ हो और कार्यालय को जब कभी इसकी आवश्यकता पड़े तो इसे मूल दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना होगा।

10. एक बार जमा किए गए आवेदन पत्र में किसी भी विवरण में परिवर्तन/ सुधार के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

11. उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन में अपना सही और सक्रिय ई–मेल पता और मोबाइल नंबर भरना चाहिए क्योंकि पत्राचार केवल ई–मेल/एसएमएस के माध्यम से किया जा सकता है।

12. किसी गणमान्य व्यक्ति के नाम/फोटो का दुरुपयोग करके फर्जी/जाली आवेदन/पंजीकरण के मामले में, ऐसे उम्मीदवार/साइबर कैफे को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा और साइबर कानून/आईटी अधिनियम के तहत उपयुक्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

13. सरकारी/स्वायत्त/सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों से संबंधित उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के समय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है, ऐसा न करने पर उन्हें लिखित परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

14. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से वेबसाइट देखते रहें **इस विज्ञापन के बारे में परिशिष्ट/शुद्धिपत्र और अद्यतन जानकारी के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट: http://www.csir.res.in देखें उम्मीदवारों को अलग से कोई व्यक्तिगत जानकारी/सूचना नहीं भेजी जाएगी। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सीएसआईआर की वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहें।**

15. लिखित परीक्षा आदि के लिए **ई–एडमिट कार्ड/रोल नंबर** जारी किए जाएंगे। उम्मीदवार (उम्मीदवारों) को अलग से कोई कॉल लेटर (लेटर्स) पोस्ट नहीं किया जाएगा(नहीं किए जाएंगे)। उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र में उल्लिखित पते पर सभी सूचना/पत्र ई–मेल द्वारा भेजे जाएंगे।

16. उम्मीदवारों को यह इंगित करना चाहिए कि क्या उनके किसी रक्त/निकट संबंधी [सरकारी कर्मचारी से संबंध में पत्नी या पति, पुत्र या पुत्री, माता–पिता, भाई या बहन या उनमें से किसी से रक्त या विवाह से संबंधित कोई व्यक्ति शामिल है, चाहे वे सरकारी कर्मचारी पर निर्भर हैं या नहीं] सीएसआईआर मुख्यालय या सीएसआईआर की किसी अन्य राष्ट्रीय प्रयोगशाला/संस्थान में काम कर रहे हैं।

17. एक उम्मीदवार एकाधिक/दोनों पोस्ट कोडों के लिए आवेदन कर सकता है, बशर्ते वह प्रत्येक विशिष्ट पोस्ट कोड से जुड़े सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करता हो। हालांकि, उम्मीदवारों को प्रत्येक पोस्ट कोड के लिए अलग से अपेक्षित आवेदन शुल्क के साथ आवेदन [प्रारंभिक/पंजीकरण विवरण को छोड़कर] भरना होगा।

18. जिन उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट नहीं दी गई है, उन्हें अपने आवेदन में एसबीआई कलेक्ट के माध्यम से सफल भुगतान के बाद उत्पन्न ई–रसीद से भुगतान विवरण [यूटीआर नंबर, आदि] को भरें और पोर्टल में सफलतापूर्वक आवेदन जमा करने के लिए ई–रसीद की एक प्रति अपलोड करें तथा ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख (अर्थात 10 जुलाई, 2023 (सोमवार) को 17:00 बजे) से पहले पीडीएफ प्रारूप में जमा किए कए फॉर्म को डाउनलोड करें।

19. कृपया ध्यान दें कि किसी भी एसबीआई कलेक्ट लेनदेन विफलताओं के लिए सीएसआईआर को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। निर्धारित अंतिम तारीख और समय के बाद किए गए आवेदन शुल्क के भुगतान को ऑनलाइन आवेदन का सफल जमा करना नहीं माना जाएगा और भुगतान की गई राशि किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं लौटाई जाएगी या इसे किसी अन्य परीक्षा आदि के लिए रिजर्व में नहीं रखा जा सकता है।

20. सीएसआईआर ऑनलाइन के माध्यम से विवरण प्रस्तुत करने में किसी भी विसंगति के लिए जिम्मेदार नहीं है। अत: आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन करें। आवेदक द्वारा प्रस्तुत विवरण को अंतिम माना जाएगा और आवेदन की आगे की प्रक्रिया केवल इन विवरणों पर आधारित होगी। विज्ञापन में दिए गए अनुदेश को अच्छी तरह से पढ़े बिना किसी भी पत्राचार के माध्यम से किए गए असंगत अभ्यावेदन/स्पष्टीकरण पर विचार नहीं किया जाएगा।

21. ऑनलाइन आवेदन सत्यापन नियम और डिजाइन विज्ञापन की आवश्यकताओं पर आधारित हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और आवेदन पोर्टल पर "अनुदेश" पृष्ठ देखें। ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से प्रस्तुत आवेदन का अर्थ यह नहीं है कि उम्मीदवार ने विज्ञापन में दिए गए सभी मानदंडों को पूरा किया है। आवेदन पर बाद में जांच की जाएगी और किसी भी समय अपात्र पाए जाने पर इसे अस्वीकार किया जा सकता है।

22. आरक्षित पदों पर नियुक्तियां अनंतिम होंगी और उचित माध्यम से ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्रों के सत्यापन के अधीन होंगी। यदि सत्यापन से पता चलता है कि ईडब्ल्यूएस से संबंधित उम्मीदवार का दावा झूठा है, तो उसकी सेवाओं को बिना कोई कारण बताए तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा और झूठे प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत की आगे कार्रवाई की जा सकती है।

VII. उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की फिजिकल/हार्ड कॉपी [प्रिंट–आउट] सहित निम्नलिखित दस्तावेजों (सुपाठ्य) को तैयार रखना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर इन्हें कार्यालय को प्रस्तुत करने होंगे: –

1. फॉर्म पर चिपकाया गया रंगीन फोटोग्राफ और उस पर आरपार पूरे हस्ताक्षर किए गए हो।
2. आवेदन शुल्क रु.500/– (जहां भी लागू हो) के लिए ई–रसीद/चालान की मुद्रित प्रति।
3. जन्म तारीख दर्शाने वाले 10वीं/12वीं कक्षा के प्रमाण पत्र की स्व–सत्यापित फोटोकॉपी।

4. शैक्षिक अर्हता प्रमाणपत्रों की स्व–सत्यापित फोटोकॉपी।

5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी प्रमाण पत्र, यदि लागू हो, की स्वप्रमाणित प्रति।

6. जब भी आवश्यक हो, अनुभव प्रमाण पत्र की स्व–सत्यापित फोटोकॉपी।

7. वर्तमान नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र, यदि लागू हो।

8. विधवा/तलाकशुदा महिला/न्यायिक रूप से अलग हुई महिला या भूतपूर्व सैनिक के मामले में संबंधित प्रमाणपत्र संलग्न किया जाए।

9. आवेदन पत्र में किए गए दावे के समर्थन में कोई अन्य सम्बद्ध प्रमाण पत्र, यदि लागू हो।

नोटः यदि हिन्दी संस्करण तथा अंग्रेजी संस्करण में कोई अन्तर/भिन्नता पायी जाती है, तो उस अवस्था में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

<u>किसी अंतरिम पूछताछ या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा</u>

उप सचिव (भर्ती एवं मूल्यांकन)

संलग्नक–1

..सरकार
(प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकरण का नाम और पता)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला आय और संपत्ति प्रमाण पत्र

वर्ष 2023–24 के लिए वैध

प्रमाणपत्र सं.____________________________ दिनांक:__________________

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी__________________________ पुत्र/पुत्री/पत्नी.____का स्थायी पता ____________________________गॉव/गली____________________________डाकघर__________________________ जिला____________________________ राज्य/केंद्र शासित प्रदेश __________________ पिन कोड __________ जिनका फोटोग्राफ नीचे सत्यापित किया गया है, वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से सम्बन्ध है, चूंकि वित्तीय वर्ष 2022–2023 के लिए इसके "परिवार" की सकल वार्षिक आय* 8 लाख रुपये (केवल आठ लाख रुपये) से कम है। इनके/इनके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई संपत्ति नहीं है***:

I. 5 एकड़ और उससे अधिक कृषि भूमि;
II. 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी ________________________ उस जाति से संबंधित हैं जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केंद्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

अधिकारी के मुहर सहित हस्ताक्षर__________________________
नाम__________________________
पदनाम__________________________

आवेदक का हाल का पासपोर्ट आकार का सत्यापित फोटोग्राफ

उल्लिखितानुसार परिवारों की आय एवं परिसम्पति को उस अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाने की आवश्यकता है जो राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के तहसीलदार के रैंक से कम का न हो

*__नोट__ **1**: आय में सभी स्रोत जैसे वेतन, कृषि, व्यापार, आदि शामिल हैं।
__नोट__ **2: इस उद्देश्य के लिए "परिवार" शब्द में आरक्षण का लाभ लेने वाला व्यक्ति, उसके माता–पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई–बहन के साथ–साथ उसके पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल हैं।

***__नोट__: ईडब्ल्यूएस स्थिति का निर्धारण करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण को लागू करते समय विभिन्न स्थानों या विभिन्न स्थानों/शहरों में "परिवार" द्वारा धारित संपत्ति (संपत्तियों) को जोड़ा गया है।